

निरीक्षण आख्या

निरीक्षणकर्ता का नाम ::	सुजीत कुमार
पद नाम ::	मुख्य विकास अधिकारी
निरीक्षण का दिनांक ::	08.05.2015

जिलाधिकारी महोदय, फिरोजाबाद के आदेश संख्या 1315/स्था0नि0सहा0-जॉच-2015-16/दिनांक 24.04.2015 के अनुपालन में अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 08.05.2015 को नगर पालिका परिषद, टूण्डला द्वारा निर्मित/निर्माणाधीन निम्न कार्यों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय नगर पालिका परिषद के अधिशासी अभियन्ता, अवर अभियन्ता तथा डी0आर0डी0ए0 के सहायक अभियन्ता, श्री आर0के0श्रीवास्तव उपस्थित थे। कार्यवार स्थलीय निरीक्षण आख्या निम्नवत है:-

1- आदर्श नगर योजना वार्ड नं0-8 में ठा0 हरीसिंह के मकान से नालन्दा स्कूल होते हुए ध्रुवसिंह एवं विनोद कुमार तक एवं रिकीदेवी से दीपू के मकान तक नाली एवं सड़क सुधार कार्य:-

इस कार्य की आगणन के अनुसार लागत रू0 11,64,000.00 प्राविधानित है तथा कार्य की कुल लम्बाई 370 मी0 है। राकेश अग्रवाल के मकान के पास सी0सी0 रोड़ की चौड़ाई मापी गई जो 2.30 मी0 पायी गई। शैतान सिंह यादव के मकान के पास एक पैच में सड़क उखड़ गई थी, जिसे ठीक कराने के निर्देश दिए गए। कई स्थानों पर ज्वाइन्ट सही तरीके से नहीं बनाये गये हैं, जिसकी वजह से क्रेक बन गये हैं, जिसे ठीक कराने के निर्देश दिए गए। ठा0 जयदेव के मकान के पास नाली का ढलान अलग-अलग दो विपरीत दिशाओं में था, जिसे चैक कर ठीक कराने के निर्देश अवर अभियन्ता को दिये गये। शेष कार्य सामान्यतः ठीक था।

2- आदर्श नगर योजना वार्ड नं0-8 में राधानगर में सुरेश वर्मा के मकान से पूरसिंह होते हुए तोताराम एवं सरदार सिंह से जयप्रसाद तक नाली एवं सड़क सुधार कार्य:-

इस कार्य की आगणन के अनुसार प्राविधानित लागत रू0 1047900.00 है तथा मौके पर 371 मी0 लम्बाई में सी0सी0 कार्य कराया गया है। एक दो स्थान पर क्रेक बन गया था शेष कार्य की गुणवत्ता सामान्यतः संतोषजनक थी।

3- आदर्श नगर योजना वार्ड नं0-4 में राजबहादुर के मकान से महेश चन्द्र एवं टी0टी0 से बलन के मकान तक नाली एवं सड़क सुधार कार्य:-

इस कार्य की आगणन के अनुसार प्राविधानित लागत रू0 1059530.00 है। मौके पर 207 मी0 लम्बाई में सी0सी0 कार्य कराया गया है। दो स्थानों पर चौड़ाई का मापांकन किया गया। राजबहादुर के मकान के सामने 3.75 मी0 चौड़ाई पायी गयी तथा उर्मिला के मकान के सामने 3.50 मी0 चौड़ाई पायी गयी। कार्य की गुणवत्ता सामान्यतः संतोषजनक है, किन्तु नाली की सफाई नहीं थी। अधिशासी अधिकारी को निर्देश दिये गये कि नालियों में सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करायें।

4- आदर्श नगर योजना वार्ड नं0-4 में कच्चा टूण्डला से बन्ना रोड़ सुरेश बाबू के मकान से अनामिका टाकीज तक नाली एवं सड़क सुधार कार्य:-

इस कार्य की आगणन के अनुसार प्राविधानित लागत रू0 10,61,000.00 है। मौके पर इस मार्ग में भी सी0सी0 कार्य कराया गया है। मार्ग की लम्बाई 150 मी0 प्राविधानित है। मार्ग की सतह अनामिका टाकीज के पास खराब हो रही थी। ओमप्रकाश के मकान के सामने सड़क उखड़ गयी है। यहाँ पर बालू पड़ी हुई है तथापि ओमप्रकाश द्वारा अवगत कराया गया कि वहाँ पर भी सड़क बैट गई है। अवर अभियन्ता, नगर पालिका द्वारा

कहा गया कि भारी वाहनों के चलने के कारण सड़क खराब हो गई है, जिसे ठीक कराया जायेगा। इस मार्ग को ठीक कराने के निर्देश दिये गये।

5- बन्ना रोड़ से क्राइस द किंग स्कूल जाने वाली रोड़ पर दुर्गा मन्दिर से भर्नाली तक जल निकासी हेतु नाला निर्माण कार्य:-

इस कार्य की आगणन के अनुसार प्राविधानित लागत रू० 9,19,500.00 है। नाले की लम्बाई 110 मी० प्राविधानित है। नगर पालिका अवर अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि यह नाला 3 भागों में अलग-अलग स्वीकृत कर बनाया जा रहा है। वर्तमान में स्वीकृत कार्य द्वितीय भाग है। प्रथम भाग का निर्माण पहले हो चुका है तथा तीसरे भाग का निर्माण शीघ्र प्रारम्भ कराया जायेगा, जिससे नाला निर्माण कार्य पूर्ण हो सकेगा।


आगणन के अनुसार नाले का क्रास सैक्शन में टाप चौड़ाई 80 सेमी तथा बेस चौड़ाई 70 सेमी तथा गहराई 80 सेमी ली गई है। एक स्थान पर टाप चौड़ाई नापी गयी जो 80सेमी पाई गई। यह भी उल्लेखनीय है कि आगणनों पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति, संख्या एवं दिनांक का उल्लेख नहीं है। उक्तानुसार आख्या सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

(सुजीत कुमार)
मुख्य विकास अधिकारी
फिरोजाबाद।

कार्यालय मुख्य विकास अधिकारी, फिरोजाबाद।

पत्रांक 18 /एस०टी०/2015-16, दिनांक- 20-05-15

- 1- जिलाधिकारी महोदय, फिरोजाबाद की सेवा में उनके आदेश संख्या 1315/स्था० नि० सहा०-जॉच-2015-16/दिनांक 24.04.2015 के परिपालन में सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, टूण्डला को इस निर्देश के साथ कि उपर संदर्भित पत्र संख्या 1315/स्था० नि० सहा०-जॉच-2015-16/दिनांक 24.04.2015 के जॉच बिन्दु संख्या 2,3,4 के क्रम में लिखित आख्या मय साक्ष्यों की प्रति के साथ उपलब्ध करायें, जिससे उनका परीक्षण कर तदनुसार जिलाधिकारी महोदय को अवगत कराया जा सकें।


मुख्य विकास अधिकारी
फिरोजाबाद।